राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 1896 दिनांकः 06/03/2025

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश 30025–30250 दिनांक 06.05.2022 के साथ संलग्न मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 8(ii) के अनुसार योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों हेतु प्रचलित RUIDP SoR के आधार पर अनुमान (Estimate) बनाये जाने एवं RUIDP SoR में भविष्य में होने वाले संशोधन तत्समय समावेशित करने के अनुसरण में पूर्व में जारी विभागीय आदेश क्रमांक 8476 दिनांक 10.04.2023 को अतिक्रमित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में नवीन कार्यों के प्रस्ताव/तकमीने (मय आवश्यक श्रमिक संख्या व सामग्री मद की गणना सहित) RUIDP SoR-2023 के आधार पर तैयार किया जाना अनुमत किया जाता है तथा विभागीय आदेश क्रमांक 9350 दिनांक 18.04.2023 के अतिक्रमण में कुशल श्रमिकों के लिए विभागीय RUIDP SoR-2023 की निर्धारित दरों के अनुरूप नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 12(ii) अनुसार श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों से किये गये टास्क अनुरूप योजनान्तर्गत श्रमिकों को भुगतान किये जाने के अनुसरण में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 द्वारा श्रमिक मजदूरी दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप दिनांक 01.04.2025 से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर रू. 285/– प्रतिदिवस तथा अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) के लिए रू. 297/– प्रतिदिवस की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01.04.2025 से नियोजित अकुशल श्रमिकों को रू. 285/– प्रतिदिवस तथा अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) को रू. 297/–प्रतिदिवस की मजदूरी दर से नियमानुसार भुगतान किया जावे।

(इंद्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 1897 – 2447 दिनांकः 06/03/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3), वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
10. मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, समस्त राजस्थान।
11. अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, समस्त राजस्थान।
12. स्टेट एम.आई.एस मैनेजर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(**[illegible]**)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.03.06 17:43:28 IST
Reason: Approved